कार्यालय–मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)

पत्रांक : 2029 /वाद सं0 एल–0106/एस–5/2024 दिनांक: 25/9/ 2024

हित्तबद्व व्यक्ति/श्री आयुष भद्री,
निकट जी0टी0एम0, मौहखमपुर,
आई0आई0पी0 के सामने, देहरादून।

आपके द्वारा स्थल पर लगभग 30 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत ले–आउट के डिमार्केशन कर प्लॉटिंग किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एंव स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं0 एल–0106/एस–5/2024 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 30.07.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम,–2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर कोई नही मिलने के कारण चस्पा किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर अनाधिकृत प्लॉटिंग के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08.08.2024 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, इसी क्रम में विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 3321 दिनांक 13.08.24 के माध्यम से अनाधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 29.08.24 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा सुनवाई के उपरान्त किसी अन्य के माध्य से एक प्रार्थना पत्र तथा उक्त भूखण्ड पर पूर्व में स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग के मानचित्र सं0 सी–0013/13–14 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी। क्षेत्रीय अभियन्ता आख्या दिनांक 20.09.2024 के अनुसार विपक्षी द्वारा जो स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है वह ग्रुप हाउसिंग का है तथा उसकी वैधता की अवधि भी समाप्त हो चुकि है जबकि विपक्षी द्वारा स्थल पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है, एवं अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने हेतु संस्तुति की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नही है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग मे ध्वस्तीकरण कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

–आदेश–

अतः विपक्षी हित्तबद्व व्यक्ति/श्री आयुष भद्री, निकट जी0टी0एम0, मौहखमपुर, आई0आई0पी0 के सामने, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर भूतल पर लगभग 30 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत ले–आउट के डिमार्केशन कर प्लॉटिंग किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत प्लॉटिंग को दिनांक 30-9-24 को ध्वस्त किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तद्नुसार सूचित हो।

25-9-24

अधिशासी अभियन्ता/पी0अधि0,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।